।। निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर ।।

फोन :- 0141-2612592, फैक्स 0141-2603407, ई-मेल sso1rajhg@hotmail.com
Website : htpp://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards

क्रमांकः गृरमु/प्रषि./टी-1( ) 2022-23/654-702 दिनांक : 09-01-23

:- गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति -:

राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम, 1963 की धारा-2 के अन्तर्गत प्रदेश में गृह रक्षा का गठन वर्णित है, जिसके अध्यधीन पारित नियमों के अन्तर्गत नियम-3 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान गृह रक्षा के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों एवम् सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों की कम्पनियों में स्वयं सेवकों के 3,842 रिक्त पदों पर नामांकन के लिये योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन-पत्र (On line application form) आमन्त्रित किये जाते हैं। यह आवेदन-पत्र इस विज्ञप्ति के विभागीय वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद दिनांक 12.01.2023 मध्यरात्रि से भरे जाना शुरू होकर दिनांक 11.02.2023 तक भरे जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने/प्रवेश-पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सूचना पृथक से समाचार पत्रों/विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक 11.02.2023 का इन्तजार किये बिना समय सीमा में ऑन लाईन आवेदन करें।

1. **आवेदन प्रक्रिया :**

(क) नामांकन हेतु आवेदन-पत्र On line application form लिये जायेंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है, तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र या कियोस्क पर भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। यह SSO ID आवेदक को ऑन लाईन आवेदन करते समय ई-मित्र कियोस्क को उपलब्ध कराना/होना आवश्यक होगा।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म (On line application form) निम्नानुसार भरा जा सकता है :-

(I) स्वयं के स्तर पर : अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के माध्यम से वेबसाइट https://recruitment2.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकता है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

(II) राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर : –

आवेदक को आवेदन भरने एवम् परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु रूपये 30 + 18% GST सम्बन्धित ई–मित्र कियोस्क को सेवा शुल्क के रूप में देय होगा, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन पत्र / हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन–पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(घ) परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र में भरे गये ई–मेल आई.डी. एवम् मोबाईल नम्बर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा हो गया है।

(ङ) अभ्यर्थी ऑन लाईन आवेदन–पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपनी स्पष्ट एवम् हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (साईज 50 kb से 100 kb) जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक (DD/MM/YY) अंकित हो तथा नमूना हस्ताक्षर (साईज 20 kb–50 kb) स्कैन हेतु ई–मित्र कियोस्क पर साथ लायें। ध्यान रखा जावे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश–पत्र पर भी आवेदन–पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जावेगी।

नोट :–

(1) ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह ऑन लाईन आवेदन करने एवम् परीक्षा शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लेवे एवम् ऑन लाईन आवेदन–पत्र अन्तिम रूप से भेजने के पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर आश्वस्त हो जाए कि सभी प्रविष्टियां सही एवम् पूर्ण रूप से भरी गई हैं। ऑन लाईन भरे गये आवेदन–पत्र का लिया हुआ प्रिन्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा।

(2) आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई–मित्र कियोस्क की सूची वेबसाईट www.emitra.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) On line application form में समस्त वाँछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(4) नामांकन प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देश एवम् नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

(5) आवेदक यह ध्यान दे कि ऑन लाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन–पत्र कमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन–पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र में Preview को आवेदन Submit न माने।

(6) एक से अधिक आवेदन करने पर अभ्यर्थी को नामांकन प्रकिया से वँचित किया जायेगा।

2. परीक्षा शुल्क :

(क)	सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु	250 रूपये
(ख)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / ई.डब्लू.एस. / एम.बी.सी.वर्ग के आवेदक हेतु	200 रूपये

3. शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश–पत्र :

विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र ऑन लाईन ही जारी किये जायेंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश–पत्र नही भेजा जायेगा। प्रवेश–पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र वेबसाईट पर SSO ID से Log in के पश्चात Recruitment portal से प्राप्त / Download कर सकेंगे। प्रवेश–पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई–मेल आई.डी. (E-mail ID) एवम् मोबाईल नम्बर पर भी भेजी जावेगी।

4. नामांकन हेतु रिक्त पद :

विभिन्न इकाईयों में कुल नामांकन किये जाने वाले स्वयंसेवकों की संख्या एवं वर्गवार पदों की गणना निम्नानुसार है:–

शहरी गृह रक्षा (NON TSP) स्वयंसेवको की वर्गवार/श्रेणीवार रिक्तयों की सूचना

S. No	Name of Distt	सामान्य					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जन जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग					सहरिया				
		महिला			पुरुष		महिला			पुरुष		महिला			पुरुष		महिला			पुरुष		महिला			पुरुष		महिला			पुरुष		महिला			पुरुष	
		विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	Ajmer	4	1	12	35	7	2	0	5	16	3	1	0	5	12	2	3	0	7	21	4	0	0	2	5	1	1	0	4	10	2	0	0	0	0	0
2	Alwar	9	2	23	69	14	4	1	10	30	6	3	0	8	24	4	5	1	14	39	8	1	0	3	10	2	2	0	7	19	4	0	0	0	0	0
3	Baran	2	0	7	18	3	0	0	1	5	0	0	0	1	3	0	0	0	2	5	1	0	0	1	3	0	0	0	2	5	1	1	0	5	12	2
4	Barmer	1	0	4	13	2	0	0	2	5	0	0	0	1	4	0	1	0	2	6	1	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
5	Bharatpur	5	1	12	38	7	2	0	5	15	3	1	0	5	12	2	3	0	7	20	4	0	0	2	5	1	1	0	3	10	2	0	0	0	0	0
6	Bhilwara	1	0	5	17	2	1	0	2	6	1	0	0	2	5	0	1	0	2	9	1	0	0	0	3	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
7	Bikaner	3	0	7	22	4	1	0	3	10	1	1	0	2	7	1	2	0	5	11	2	0	0	1	3	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0
8	Bundi	1	0	4	14	2	0	0	2	5	1	0	0	1	5	0	1	0	2	7	1	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
9	Chittorgarh	3	0	9	26	5	1	0	4	12	2	1	0	3	9	1	2	0	5	15	3	0	0	1	5	0	1	0	2	8	1	0	0	0	0	0
10	Churu	1	0	4	13	2	0	0	2	5	1	0	0	1	5	0	1	0	2	7	1	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
11	Dausa	2	0	7	20	4	1	0	3	9	1	1	0	2	6	1	1	0	4	11	2	0	0	1	3	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0
12	Dholpur	1	0	4	12	2	0	0	2	5	0	0	0	1	5	0	1	0	2	6	1	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0
13	Ganganagar	2	0	7	19	3	1	0	2	9	1	0	0	2	6	1	1	0	4	10	2	0	0	1	3	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0
14	Hanumangarh	1	0	2	11	1	0	0	1	4	0	0	0	1	3	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
15	Jaipur	8	1	20	57	12	3	0	9	26	5	2	0	7	19	4	4	1	11	33	7	1	0	2	9	1	2	0	6	16	3	0	0	0	0	0
16	Jaisalmer	2	0	5	16	3	1	0	2	6	1	0	0	2	5	1	1	0	2	9	1	0	0	0	3	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
17	Jalore	1	0	3	10	1	0	0	1	5	0	0	0	1	3	0	0	0	2	5	1	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
18	Jhalawar	3	0	7	23	4	1	0	3	10	1	1	0	2	8	1	1	0	5	12	2	0	0	1	3	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0
19	Jhunjhunu	0	0	1	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
20	Jodhpur	6	1	16	46	9	3	0	7	20	4	2	0	5	16	3	4	0	9	27	5	1	0	2	6	1	1	0	5	13	2	0	0	0	0	0
21	Karoli	1	0	5	18	2	1	0	2	6	1	0	0	2	5	0	1	0	2	9	1	0	0	0	3	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
22	Kota	5	1	14	41	8	2	0	7	18	3	1	0	5	15	2	3	0	9	23	5	0	0	2	6	1	1	0	4	12	2	0	0	0	0	0
23	Nagore	4	0	10	29	5	1	0	5	12	2	1	0	3	10	2	2	0	6	16	3	0	0	1	5	0	1	0	2	9	1	0	0	0	0	0
24	Pali	4	0	9	27	5	1	0	4	12	2	1	0	3	10	1	2	0	5	15	3	0	0	1	5	0	1	0	2	8	1	0	0	0	0	0
25	Rajsamand	2	0	5	16	3	1	0	2	7	1	0	0	2	5	1	1	0	3	9	1	0	0	0	3	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0
26	S Madhopur	1	0	3	11	2	0	0	2	5	0	0	0	1	4	0	0	0	2	6	1	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0
27	Sikar	2	0	5	16	3	1	0	2	6	1	0	0	2	5	1	1	0	3	9	1	0	0	0	3	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
28	Sirohi	2	0	6	19	3	1	0	2	8	1	0	0	2	6	1	1	0	3	10	2	0	0	1	3	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0
29	Tonk	4	0	10	32	6	1	0	5	14	2	1	0	3	10	2	2	0	6	17	3	0	0	1	5	0	1	0	2	9	1	0	0	0	0	0
30	Udaipur	4	0	9	28	5	1	0	4	12	2	1	0	3	10	1	2	0	5	15	3	0	0	1	5	0	1	0	2	8	1	0	0	0	0	0

सीमा गृह रक्षा (NON TSP) स्वयंसेवको की वर्गवार/श्रेणीवार रिक्तियों की सूचना

S. No	Name of Distt		सामान्य					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जन जाति					अन्य पिछड़ा वर्ग					एम.बी.सी. वर्ग					आर्थिक पिछड़ा वर्ग				
			महिला			पुरूष		महिला			पुरूष		महिला			पुरूष		महिला			पुरूष		महिला			पुरूष		महिला			पुरूष	
			विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	BHG Barmer	ए–रामसर	1	1	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1
		बी.–धौरीमन्ना	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
		सी–सांचौर	0	0	1	3	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
		डी–शौभाला	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ई–चोहटन	1	0	1	3	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		एफ–बाखासर	0	0	1	2	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	BHG Jaisalmer	ए–नाचना	1	1	1	3	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बी.–माहनगढ	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सी–रामगढ	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
		डी–म्यांझलार	0	0	1	3	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
		ई–गिराब	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0
		एफ–जयसिंधर	1	0	1	3	1	1	0	1	2	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	BHG Bikaner	ए–छत्तरगढ	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		बी.–पूगल	1	0	1	3	1	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
		सी–बज्जू	1	0	1	3	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
		डी–दियातरा	0	1	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0
		ई–घड़साना	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		एफ–अनूपगढ	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	BHG Ganganagar	ए–केरी	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बी.–कोनी	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सी–मिरजेवाला	1	0	2	3	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		डी–फूसेवाला	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
		ई–गजसिंहपुर	1	0	2	3	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
		एफ–रायसिंहपुर	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0

शहरी गृह रक्षा जनजाति क्षैत्र (TSP) स्वयंसेवको की वर्गवार/श्रेणीवार रिक्तियों की सूचना

S. No	Name of Distt	सामान्य					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जन जाति				
		महिला			पुरुष		महिला			पुरुष		महिला			पुरुष	
		विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक	विधवा	विवाह विच्छिन्न	सामान्य	सामान्य	भूतपूर्व सैनिक
1	Banswara	1	0	5	14	2	0	0	0	2	0	1	0	4	12	2
2	Dungarpur	1	0	5	14	2	0	0	0	2	0	1	0	4	12	2
3	Pratapgarh	1	0	5	15	2	0	0	0	2	0	1	0	5	13	2
4	Udaipur	9	2	22	67	13	1	0	2	7	1	8	2	20	60	12
5	Sirohi	1	0	4	11	2	0	0	0	1	0	1	0	3	10	2
6	Pali	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	Rajsamand	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Chittorgarh	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. **नामांकन हेतु परीक्षा केंद्रः**

गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रकिया अप्रेल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किये जाने की संभावना है। विभाग द्वारा उक्त नामांकन प्रकिया की कार्यवाही यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET), शारीरिक माप–तौल परीक्षा (PST), एवं दस्तावेज सत्यापन इत्यादि प्रारम्भ करने की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र एवं विभागीय वेबसाईट पर परीक्षा प्रारम्भ करने की तिथि से 15 दिवस पूर्व कर दिया जावेगा। विभाग द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन चयन प्रकिया हेतु कम से कम 07 दिवस पूर्व प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा, जिसमें परीक्षा केन्द्र का नाम, स्थान, दिनांक मय समय का उल्लेख होगा। यह सूचना अभ्यर्थी को उनके ई–मेल आई.डी / मोबाईल पर एस.एम.एस. सेवा के माध्यम से दे दी जायेगी।

6. **आरक्षण :**

(क) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को आरक्षण निम्नानुसार देय होगाः–

1. अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	12 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़ा वर्ग	21 प्रतिशत
4. आर्थिक रूप से कर्मजोर वर्ग	10 प्रतिशत
5. एम.बी.सी.	05 प्रतिशत

(ख) **महिलाओं के लिए :**

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category Wise) है। महिल अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.7 (2) डी.ओ.पी. / ए–2 / 88 / पार्ट–I दिनांकः 22.12.2015 के अनुसार नामांकन में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 08 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 02 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। विधवा एवम् विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रकिया राज्य सरकार के परिपत्र कमांकः एफ.7 (2) डी.ओ.पी. / क–2 / 96 / पार्ट दिनांकः 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

किसी वर्ग विशेष में विधवा महिला के रिक्त पद के विरूद्ध विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सर्वप्रथम उसी वर्ग की विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थी से भरी जायेगी तथा किसी वर्ग विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवा और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवम् विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

किसी वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ओ.बी.सी./टी.एस.पी./एम.बी.सी./सहरिया) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवम् निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र (अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी./सहरिया/टी.एस.पी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण–पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नही होगा।

(ग) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण :–

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.5 (18) डी.ओ.पी./ए–।।/84पार्ट।। दिनांकः 07.12.2022 एवं परिपत्र कमांक प. 5 (18) कार्मिक/क–2/84 पार्ट।। दिनांक 12.12.2022 की पालना में भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों की गणना प्रवर्गवार की जावेगी।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.5 (18) डी.ओ.पी./ए–।।/84 पार्ट दिनांकः 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–06 नियम–6 (ख) के अनुसार कोई सैनिक जो सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर–भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराक्षेप प्रमाण–पत्र(एन.ओ.सी.) के आधार पर पेंशन अर्जित करने के पश्चात् पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे समुचित चयन अभिकरण को सेवानिवृत्ति का प्रमाण–प्रस्तुत करना होगा।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प. 5 (18) डी.ओ.पी./क–2/84 पार्ट दिनांकः 22.08.2019 जो कि परिपत्र दिनांकः 16.08.2016 के अतिक्रमण में जारी किया गया है, में निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवाओं में एक बार से अधिक लाभ देय होगा।

राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम–1988 के नियम 2 (5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्ति बिना भरे रह जाये तो ऐसी रिक्ति को उक्त पद पर अन्य स्त्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की नामांकन और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्ति आरक्षित नही थी, भरी जायेंगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्ति जिसे आरक्षित रखा गया हो, अगले नामांकन वर्ष तक अग्रणीत की जायेगी, तदुपरान्त ऐसी रिक्तियां अनारक्षित मानी जायेंगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 के नियम–7 में अंकितानुसार) "अच्छा" होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवम् पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे।

स्पष्टीकरण : भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा, जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 के नियम–3 (क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(घ) **टी.एस.पी. क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जन जाति एवम् सहरिया आदिम जाति के लिए :**

I. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13 (20) कार्मिक/ क–2/91 पार्ट दिनांकः 04.07.2016 के प्रावधानानुसार जिन क्षेत्रों को ट्राईबल सब प्लान ऐरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत एवम् अनुसूचित जाति हेतु 05 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् एम.बी.सी.वर्ग के लिए आरक्षण शून्य रहेगा।

II. भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 19.05.2018 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प.13(20)कार्मिक/क–2/91पार्ट–3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित क्षेत्र, राजस्थान राज्य आदेश–2018) में राज्य के जिला उदयपुर/चित्तोडगढ़/पाली/सिरोही/राजसमन्द के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में नया जोड़ने/बढाये जाने के कारण उन क्षेत्रों में भी अन्य पिछ़डा वर्ग/एम.बी.सी. को आरक्षण देय नहीं है।

III. राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13 (20) कार्मिक/ क–2/91 पार्ट दिनांकः 21.05.2013 के प्रावधानानुसार बारां जिले की समस्त तहसीलों में भर्ती/नामांकन द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियो के लिए 8 प्रतिशत, पिछ़ड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियो लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी। शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

IV. ट्राईबल सब प्लान ऐरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान ऐरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवम् स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण नामांकन हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका एवम् सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों का विवरण वर्णित तालिका में अंकित हैं।

7. मानदेय :

गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। राज्य सरकार के अध्यादेश–1963 एवम् राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह रक्षा नियमावली–1962 के तहत संचालित इस विभाग में स्वयं सेवकों को चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान कर संगठित किया जाता है। गृह रक्षा विभाग के नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयं सेवकों को नियोजित किया जाता है जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान मे 693/– रूपये प्रति दिवस होम गार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर एवम् 590/– रूपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय है।

राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होम गार्ड्स नियमावली–1962 के नियम–8 के अनुसार चयनित स्वयं सेवक को मात्र 05 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवम् 05 वर्ष की अवधि के बाद पुर्ननामांकन का प्रावधान है।

8. <u>नामांकन हेतु पात्रता/योग्यता/छूट/अयोग्यता</u> :

(I) **(क) शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता हेतुः—** जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/उपकेन्द्र की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन किया गया है, उस जिले में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।

(ख) सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता हेतुः— जिस सीमा गृह रक्षा दल की कम्पनी की रिक्तियों के विरूद्ध आवेदन किया गया है, उस कम्पनी मुख्यालय से 25 किमी. की परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अधीनस्थ राजस्व ग्राम मे निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।

(II) **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** — मान्यता प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण।

(III) **आयु सीमा** :— राजस्थान होमगार्ड नियम—1962 के नियम 9 के अनुसार आवेदक की आयु 01.01.2023 को 18 से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात आवेदक/आवेदिका का जन्म 01.01.2005 के बाद तथा 01.01.1988 से पूर्व का ना हो।

(IV) **शारीरिक मापदण्ड** :— अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य होगाः—

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		बारां जिले के सहरिया हेतु	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	145 से.मी.
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाए— 81 से.मी फुलाने पर —86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाए — 74 से.मी फुलाने पर — 79 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी उपरोक्त मापदण्डों में उपलब्ध नहीं हो पा रहें हों तो न्यूनतम लम्बाई एवं सीने की न्यूनतम माप में 5 से.मी. की छूट दी जा सकेगी, किन्तु 5 से.मी. सीना फुलाये जाने की अनिवार्यता रहेगी।

(V) **चिकित्सकीय मापदण्ड** : चिकित्सकीय मापदण्ड निम्नानुसार होगे।

(क) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6x6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य होगा।

(ख) अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषो, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

(ग) अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (Knock-knee), नसें फूली हुई होना (Varicose veins), भैंगापन (Squint), रतौंधी (Night blindness), रंग दृष्टि दोष (Colour blindness), मधुमेह (Glycosuria/Diabetes), अल्बुमीनुरीया (Albuminuria), हकलाकर बोलना (Stammering), पैर समलत (Flat foot), हर्निया (Hernia), शल्य प्रॉबलम (Surgical problems), या अन्य कोई विकृति/अंग–भंग (Any other deformity) जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो, नहीं होनी चाहिए।

(VI) **नामाकंन के लिए अयोग्यताएं:**

(i) किसी भी ऐसे पुरूष/महिला उम्मीदार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि/पति हों नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।

(ii) शादीशुदा अभ्यर्थी के नामांकन के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण–पत्र पेश नहीं करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जावेगा।

(iii) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरण:– इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से वही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध एक्ट 1961 में है। (सैन्ट्रल एक्ट 1961 का 28)

(iv) यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध नैतिक अद्यमता (Moral turpitude) के किसी अपराधिक कृत्यों में भागीदारी लिप्त पायी गयी हैं तथा ऐसे प्रकरण में किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण **अन्वेषणाधीन/न्यायालय में विचाराधीन** (under trial) है अथवा दोषसिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है, तो उसे नामांकन हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

(v) यदि कोई अभ्यर्थी तथ्यों को छुपाने अथवा बदलने/छेड़छाड़ करने, अनुचित माध्यम से परीक्षा में बैठने का, चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा पश्चात् में दोषी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जावेगा। अभ्यर्थी का नामांकन होने के पश्चात् भी यदि दोष प्रमाणित होता है तो उसका नामांकन रद्द कर उसके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही अमल में ली जावेगी।

9. नामांकण हेतु चयन प्रक्रियाः–

I. पंजीकरण एवं प्रमाण–पत्रों की जांच :

नामांकन प्रकिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्र (जो भी लागू हो) एवं उनकी स्व–प्रमाणित (Self attested) एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होंगेः–

(i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण–पत्र।

(ii) सम्बन्धित जिले का मूल निवास प्रमाण–पत्र।

(iii) आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)

(iv) विशेष योग्यता सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।

(v) जाति प्रमाण–पत्रः– अनु.जाति / अनु. जनजाति / ओ.बी.सी. / एम.बी.सी. / ई.डब्ल्यू.एस. से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

(vi) जनजाति क्षेत्र (टी.एस.पी.) एवं सहरिया क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, यदि लागू हो तो।

(vii) महिलाः– विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

(viii) भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृति प्रमाण–पत्र।

(ix) शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण–पत्र।

(x) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन–पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5 ×3.5 सेमी) रंगीन फोटो।

पंजीकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान एवं उपरोक्त वर्णित प्रमाण–पत्रों की जांच की जायेगी।

II. प्रथम चरणः–शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test/PET)

पंजीकरण में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जावेगा। महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती है तो उनको सलाह दी जाती है कि वह इसमें भाग नहीं लेवें। यदि भाग लेंगी तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु पृथक से शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है तथा इसके लिए अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के मापदण्ड / अंक निम्नानुसार होंगे :–

1. (क) पुरूष वर्ग – दौड़ 1000 मीटर — अधिकतम अंक 15

(i) 3 मिनट 30 सैकेण्ड तक	– 15 अंक
(ii) 3 मिनट 45 सैकेण्ड तक	– 10 अंक
(iii) 4 मिनट तक	– 5 अंक
(iv) 4 मिनट से अधिक	– 0 अंक

(ख) महिला वर्ग – दौड़ 800 मीटर

(i) 3 मिनट 30 सैकेण्ड तक	– 15 अंक
(ii) 3 मिनट 50 सैकेण्ड तक	– 10 अंक
(iii) 4 मिनट 10 सैकेण्ड तक	– 5 अंक
(iv) 4 मिनट 10 सैकेण्ड से अधिक	– 0 अंक

2. (क) पुरूष वर्ग– चिन अप (Chin up) — अधिकतक अंक 10

(i)	10 चिन अप	– 10 अंक
(ii)	7 चिन अप	– 7 अंक
(iii)	5 चिन अप	– 5 अंक
(iv)	5 चिन अप से कम	– 0 अंक

(ख) महिला वर्ग – गोला फेंक (4 Kg)

(i)	16 फिट	– 10 अंक
(ii)	15 फिट	– 7 अंक
(iii)	14 फिट	– 5 अंक
(iv)	14 फिट से कम	– 0 अंक

शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा।

- शारीरिक दक्षता परीक्षा के अन्तर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जावेगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा एवं अगले चरण (शारीरिक मापतौल परीक्षण) में शामिल नहीं किया जावेगा।
- दौड़ में सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण (शारीरिक मापतौल परीक्षण) में शामिल किये जायेगें। द्वितीय चरण (शारीरिक मापतौल परीक्षण) में असफल रहने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं किया जावेगा।
- द्वितीय चरण (शारीरिक मापतौल परीक्षण) में सफल पुरूष वर्ग को चिन अप (Chin up) एवं महिला वर्ग को गोला फेंक (4 Kg) शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अंन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेंगे।

III. द्वितीय चरणः— शारीरिक माप—तौल परीक्षण (Physical Standard Test/PST)

गृह रक्षा विभाग के नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यार्थियों का शारीरिक माप—तौल परीक्षण किया जावेगा। नामांकन बोर्ड (PST) में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके माप—तौल से अवगत करायेगा। शारीरिक माप—तौल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि रूपये 500/— जमा करवाकर शारीरिक माप—तौल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकेंगे। चयन बोर्ड अध्यक्ष एवं राजकीय चिकित्सक की उपस्थिति में पुनः उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जायेगा।

IV. तृतीय चरणः विशेष योग्यता **अधिकतम अंक— 20**

क्र.सं	विवरण	अधिकतम अंक
(i)	नेशनल कैडेट कोर (NCC) का "ए" प्रमाण—पत्र 02 अंक "बी" प्रमाण—पत्र 04 अंक "सी" प्रमाण—पत्र 06 अंक	06 अंक
(ii)	कम्प्यूटर शिक्षा हेतु RKCL (Rajasthan knowledge Corporation Ltd.) द्वारा प्रदत RS-CIT(Rajasthan State Certificate Course in Info. Tech.) प्रमाण—पत्र अथवा राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT), भूतपूर्व DOEACC Society द्वारा प्रदत कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण—पत्र अथवा NCVT(National Council for Vocational Training) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थानों द्वारा प्रदत कम्प्यूटर शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण—पत्र ।	04 अंक
(iii)	इलेक्ट्रीशियन/फिटर/पलम्बर/वैल्डिंग/मोटरगाड़ी मैकेनिक/ डीजल मैकेनिक, कारपेन्टर /पेन्टर/फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इन्डस्ट्रीयल सेफ्टी /फायर मैन का NCVT (National Council for Vocational Training) से मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. संस्थानों द्वारा प्रदत डिप्लोमा प्रमाण—पत्र	03 अंक
(iv)	खेलों में प्रतिभागी होने का उपयुक्त प्रमाण—पत्र (क) अर्न्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर 04 अंक (भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त खेल संघ/स्कूल गेम्स फेडेरेशन ऑफ इण्डिया/अन्तर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा जारी अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र) (ख) राज्य स्तर 02 अंक (राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद से मान्यता प्राप्त खेल संघ/निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान/अन्तर विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा जारी राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र)	04 अंक
(v)	स्काउट प्रमाण—पत्र राष्ट्रपति पुरस्कार 04 अंक राज्य पुरस्कार 03 अंक तृतीय सोपान उत्त्तीर्ण 02 अंक	04 अंक
(vi)	हल्का/भारी मोटर वाहन चालक भारी मोटर वाहन चालक 04 अंक हल्का मोटर वाहन चालक 02 अंक	04 अंक

नोटः— विशेष योग्यता हेतु देय अंको के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंको का कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उपरोक्त श्रेणियों में अधिकतम अंक वाले प्रमाण—पत्र के अंक ही गणनीय होंगे।

उपरोक्त वर्णित विशेष योग्यता के समस्त दस्तावेज विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व के जारी होना आवश्यक होगा। उक्त के अभाव में दस्तावेज मान्य नहीं होंगे।

V. **चतुर्थ चरणः** मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण अधिकतम अंक– 5

VI. **नामाकंन परीक्षा हेतु अंक गणनाः**

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 50 अंक होंगे जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

परीक्षा का चरण	**अधिकतम अंक**
शारीरिक दक्षता परीक्षा	25
विशेष योग्यता	20
मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण	5
अंकों का योग	**50**

VII. **चयन सूची** :– नामांकन प्रकिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता एवं मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण में अंक दिये जायेंगे तथा मेरिट (योग्यता) सूची तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुरूप एवं राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों के अनुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जायेगी। चयन बोर्ड द्वारा मैरिट सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांको के मामले में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। इसी प्रकार प्राप्तांक व आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी तथा शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता अंकों के आधार पर वरीयता दी जायेगी। यदि तत्पश्चात् भी प्राप्तांक समान रहते हैं तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जायेंगे।

10. **स्वास्थ्य परीक्षण** :

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील : उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अनुपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, परन्तु स्वास्थ्य परीक्षण की अयोग्यता की स्थिति में प्रथम बोर्ड द्वारा किये गये स्वास्थ्य परीक्षण की दिनांक से एक माह के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ अपील करने पर विभाग विचार कर सकता है।

11. **प्रमाण–पत्र एवम् चरित्र सत्यापन** :

चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा, मूल निवास एवम् विशेष योग्यता इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की जाँच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित होना आवश्यक हैं। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नामांकन हेतु पात्र माना जावेगा।

12. **महत्वपूर्ण निर्देश** :

(I) जिला प्रशिक्षण केंद्र / सीमा गृह रक्षा कम्पनी में जिस वर्ग के पद रिक्त हैं, उन्हीं के लिए आवेदन–पत्र स्वीकार होंगे।

(II) आवेदन–पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाऐं सही होनी चाहिए। आवेदन–पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रकिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नामांकन हेतु पात्रता व आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि उक्त गलत सूचना नामांकन के बाद भी ज्ञात हुई तो डिस्चार्ज करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।

(III) निरस्त किये गये आवेदन पत्रों का शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

(IV) चयन प्रकिया में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(V) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(VI) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा अन्य घटना घटित होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(VII) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जायेगा।

(VIII) अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उनके विरूद्ध सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो की रोकथाम) अधिनियम–1992 के विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

(IX) नामांकन प्रक्रिया से सम्बन्धित स्थाई आदेश एवम् विज्ञप्ति विभाग की वेबसाईट https://www.home.rajasthan.gov.in/homeguards पर उपलब्ध है।नामांकन के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी सूचना भी वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(X) आवेदन–पत्र भरने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शंका/समस्या हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक हैल्प लाईन नम्बर 0141–2612592 पर कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

(XI) नामांकन प्रकिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार व गृह रक्षा निदेशालय द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है। फिर भी, नामांकन हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में ऐसे नियम/परिपत्र उक्त नामांकन में प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों/परिपत्रों में संशोधन भी लागू होंगे।

(अमृत कलश IPS)
अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान,
जयपुर

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महासमादेष्टा प्रथम गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. सीनियर स्टाफ ऑफिसर प्रथम/द्वितीय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।
10. समस्त समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, राजस्थान।
11. निजी सहायक, अति. महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों में करावें।

अतिरिक्त महानिदेशक,पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर